# History

## भारत का संवैधानिक विकास

### ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के अन्तर्गत भारत (1773-1853)

E.I.C
⇓
शासन
⇓
1773-1853

- # रेगुलेटिंग एक्ट 1773
- # पिट्स इंडिया एक्ट - 1784
- # चार्टर एक्ट - 1793
- # चार्टर एक्ट - 1813
- # चार्टर एक्ट - 1833

### ब्रिटिश क्राउन के अन्तर्गत भारत (1858 - 1947)

- ▽ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट - 1858
- ▽ इंडियन काउंसिल एक्ट - 1861
- ▽ इंडियन काउंसिल एक्ट - 1892
- ▽ भारत परिषद अधिनियम - 1909
- ▽ भारत सरकार अधिनियम - 1919
- ▽ भारत सरकार अधिनियम - 1935
- ▽ अगस्त प्रस्ताव - 1940

⇒ Act / अधि० ⇒ पारित (Pass) → ब्रिटिश संसद [British Parliament]

- ▽ चार्टर एक्ट - 1853
- ▽ क्रिप्स प्रस्ताव - 1942
- ▽ कैबिनेट मिशन - 1946
- ▽ माऊंटबेटन योजना - 1947

## 1600 ई० का राजलेख (चार्टर)

भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना के साथ प्रारम्भ होता है।

Charter of 1600 A.D.

The Constitutional development of India begins with the establishment of the East India Company

→ स्थापना → प्रारम्भ ⇒ 1599
→ स्थापित → 1600 ई० / AD

⇒ महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसम्बर 1600 ई. को 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' की स्थापना कर उसे पूर्व देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया.

Queen Elizabeth I established the East India Company' on 31 December 1600 and gave it the right to trade in the eastern Countries for 15 years.

⇒ स्थापना के समय कम्पनी की कुल पूँजी 30133 पौण्ड थी तथा इसमें कुल 217 भागीदार थे। At the time of establishment, the total Capital of the Company was 30133 pounds and it had a total of 217 partners.

## 1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट

⇒ ब्रिटिश प्रधानमंत्री 'लार्ड नार्थ' द्वारा गठित 'गुप्त समिति' (Secret Committee) की सिफारिश पर पारित एक्ट

The Act was passed on the recommedation of the 'Secret Committee' Constituted by the British prime Minister 'North'

⇒ इसका मुख्य उद्देश्य कम्पनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना। Its main purpose was to Control the Company's affairs in both India and Britain

⇒ कम्पनी के सम्पूर्ण प्रशासन में दो संस्थाएँ थी There were two institutions in the entire administration of the Company

1. निदेशक मण्डल (Court of Directores) Imp. कार्यकाल (Tenure) 1 वर्ष
2. स्वत्वधारी मण्डल (Court of Proprietors) 1773 Act ⇒ कार्यकाल को बढ़ाकर 4 वर्ष

⇒ निदेशक मण्डल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर) की कार्यावधि एक वर्ष के स्थान पर चार वर्ष का कर दिया गया।
The tenure of the Board of Directors was increased to four years instead of one year.

⇒ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कुल सदस्य संख्या (24) के एक-चौथाई (1/4) सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। One-fourth (1/4th) of the total number of members (24) of the Court of Directors shall retire every year.

24 × (1/4) ⇒ Retired → प्रतिवर्ष (every year)

⇒ बंगाल (कलकत्ता) मुम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों जो एक दूसरे से स्वतंत्र थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसीडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया
Bengal (Calcutta), Mumbai and Madras Presidencies, which were independent of each other, were brought under the Bengal presidency by this Act and the Governor of Bengal was made the Governor General of all the three presidencies.

G.G. of Bengal

कलकत्ता (बंगाल)
बम्बई
मद्रास
→ तीनों को एक, बंबई और मद्रास को कलकत्ता के अधीन। ⇒ 1773 Act

⇒ 1773 के अधि० के द्वारा कलकत्ता के गवर्नर जनरल को G.G. of बंगाल बना दिया गया।

⇒ बंगाल का प्रथम G.G ⇒ वारेन हैस्टिंग्स

⇒ शक्तियों को गवर्नर जनरल तथा उसके चार सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया Powers were handed over to the Governor General and his four-member Council

⇒ "वारेन हैस्टिंग्स" को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। "Warren Hastings" was appointed the first Governor General.

⇒ कार्यकारिणी परिषद के अन्य चार सदस्य थे- फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग मानसन एवं बरवेल। The other four members of the Executive Council were Philip Francis, Clavering, Manson and Barwell.

गवर्नर जनरल (बंगाल) → भारत का प्रथम S. Court

⇒ 1774 ई. में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। A Supreme Court was established in Calcutta in 1774 AD.

1773 के अधिनियम द्वारा

⇒ एलिजाह इम्पे को मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य, चैम्बर्स, लिमैस्टर एवं हाइड को न्यायाधीश बनाया गया। Sir Elijah Impey was made chief Justice and three others, Chambers, Limaster and Hyde were made judges.

⇒ कम्पनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किये निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया।
Company employees were prohibited from carrying on private business without a license and from accepting gifts and bribes from Indians.

## ऐक्ट ऑफ सैटलमेंट, 1781

⇒ प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्क के सुझाव के आधार पर इस एक्ट का प्रावधान किया गया। This Act was provided on the basis of the suggestion of Edmund Burke, Chairman of the Select Committee.

⇒ कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। The Government at Calcutta was also given the authority to make laws for Bengal, Bihar and Orissa.

कलकत्ता
→ मुम्बई, मद्रास
→ 1781 ⇒ बिहार, उड़ीसा

⇒ गवर्नर - जनरल - इन - कौंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। The Governor-General-in-Council was relieved of the jurisdiction of the Supreme Court.

G.G + 4 member

↳ Control (नियंत्रण) ✗ — S- Court ↳ समाप्त

## पिट्स इण्डिया ऐक्ट, 1784

[Pitt's India Act of 1784]

⇒ इस ऐक्ट के माध्यम से कम्पनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक क्रिया-कलापों को अलग-अलग कर दिया गया

⇒ व्यापारिक क्रिया-कलापों को कम्पनी के निदेशकों (Board of Directors) के हाथों में

Thaough this act, the Commercial and political activities of the Company were separated.

Commercial activities were placed in the hands of the directors of the Compan.

राजनैतिक क्रिया-कलापों - इंग्लैण्ड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक-मण्डल' (Board of Control) की स्थापना की गई।

Political activities - A Six-member 'Board of Control' was established in England.

राजनैतिक क्रियाकलाप
⇓
Board of Control

व्यापारिक क्रियाकलाप
↳ Board of Directors

⇒ गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या चार से कम करके तीन कर दी गई।

⇒ गवर्नर जनरल को प्रान्तीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया।

The number of members of the Governor General's Council was reduced from four to three.

The Governor General was given the power to dismiss provincial governments by this Act.

## 1813 का राजलेख (Charter Act of 1813)

⇒ ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गयी। Christian missionaries were allowed to preach in India

अनुज्ञा → अनुमति

⇒ कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया, किन्तु चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के एकाधिकार को बनाये रखा गया।

The Company's trade monopoly was abolished and all British citizens were given the right the right

to trade, but the monopoly of trade. but the monopoly of trade with China and the tea trade was maintained.

Monopoly (एकाधिकार) → समाप्त

ब्रिटिश E.I.C → व्यापार → Trade

⇒ चीन के साथ व्यापार
⇒ चाय का व्यापार
→ एकाधिकार

⇒ भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबन्ध किया गया।
Provision was made to Spend RS 1 lakh per year on the education of Indians → 1813

## 1833 का चार्टर (Charter Act of 1833)

⇒ बंगाल के गवर्नर जनरल को सम्पूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। The Governor General of Bengal was made the Governor General of entire India.

⇒ गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।
The Governor General was given the right to make laws for the whole of India

→ भारत का पहला G.G. ⇒ विलियम बेंटिक

⇒ विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में 'विधि सदस्य' के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया।
A fourth member was added as 'Law member' in the Governor General's Council for legal advice.

④ law - Members
↳ G.G. + Council - (परिषद) बैठक → भाग / मतदान

⇒ उसे केवल परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, मतदान का नहीं। He had the right only to attend the Council meetings not to vote.

⇒ कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार को (चाय तथा चीन के साथ व्यापार सहित) पूर्णतः समाप्त कर दिया गया
The Company's trade monopoly (including tea and trade with China) was Completely abolished

Imp.
⇒ 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में चार सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। In 1834, the first four-member Law Commission was formed under the chairmanship of Macaulay.

⇒ कम्पनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराये जाने का उपबन्ध किया गया।

Provision was made that no person would be disqualified on the grounds of religion, place of birth, race or colour for selection to government posts under the Company

1 लाख रु
↳ 1813

Govt. job
↳ भेदभाव नहीं
↓
आधार - धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश, रंग ।